

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... २५८/५४ उल्लेख एव ५.३.०. मुकाम... वायट

... विप्राधी/प्रतिवादी... बनाम... वायट/प्रतिवादी...

किस्म मुकदमा... १११/१२८ RURAET नं. 17/1/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/6/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रवेता राम जावाल</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>१११/१२८ RURAET</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राधी/प्रतिवादी/रेसपोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>17/08/2021</u> को पेश हो।</p>	
17/08/2021	<p>श्री वकील उपस्थित। विप्राधी/प्रतिवादी के नोटिस तामिल खुदा जज निम्ने शामिल पत्रावली पेश गमा। विप्राधी/प्रतिवादी वावजुद तामिल अनुउपस्थित। जज निम्ने समय लीन बाए प्रवाज लगाई गई। अन्तिम प्रवाज 5:45 pm पर लगाई गई। विप्राधी/प्रतिवादी गण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिटाज विप्राधी- गणों के विरुद्ध एउतरफा कार्यवाही प्रारम्भ में लाई जाली है। फलतः वास्ते बयान पत्रा- वली दिनांक-20/10/2021 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) वायट

20/10/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीय
मनुष्य/ पीएम पीएमन कथिडारी प्रशासन
जॉबों के संग्रह अभियान-2021 केन्द्रों के व्यत्यय
होने के मिशाल हिल्लो होइत किआरि दिनांक
20/02/2022 को पेश हो।


कमाक

20/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीय
मनुष्य/ प्रार्थी वकील बहस काला उरु
चाहते हैं। किबत दिमा जाइत पमावली
दिनांक - 08/03/2022 को पेश हो।



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (SDO) बायतु </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 121

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 08/03/2022
विप्रार्थीगण

1. शिवदानसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरा 13
जाति जाट, निवासी भोमोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. रावतसिंह पुत्र चांदसिंह वगैरा 13
जाति जाट, निवासी भोमोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 176/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - भोमोणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 185 रकबा 9.4777 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- प्राप्त कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2022/ 122 to 126

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शिवदानसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैरा 13
4. विप्रार्थी श्री रावतसिंह पुत्र चांदसिंह वगैरा 13
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जसदीप सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 08/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु